

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)



भारत सरकार  
ONE CASTE - ONE FAMILY - ONE FUTURE

क्रमांक प.7(2)वित्त-1(1)आ.व्य./2026

जयपुर, दिनांक: 26 फरवरी, 2026

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/  
शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव (समस्त)  
राजस्थान सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

विषय :- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का "शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का "शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधान सभा में दिनांक 19 फरवरी, 2026 को उपस्थापित किया जा चुका है।

उक्त निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वेबसाईट [cag.gov.in](http://cag.gov.in) एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट <https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi> पर उपलब्ध है।

भवदीय,

(राजन विशाल)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया विभिन्न विभागों के उत्तर विधान सभा सचिवालय को निर्धारित समयावधि में प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करावें।
4. संयुक्त सचिव, वित्त(समन्वय) विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर को उनकी आज्ञा संख्या डी. 16/मं.मं. /2026 दिनांक 28.01.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड बाबत।
7. समस्त अनुभाग, वित्त विभाग।

(बृजेश किशोर शर्मा)  
निदेशक, वित्त (बजट)